रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05032021-225687
CG-DL-E-05032021-225687

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 5, 2021/फाल्गुन 14, 1942
No. 113] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 5, 2021/PHALGUNA 14, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2021

सा.का.नि. 154(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन, समूह क पद भर्ती नियम, 2005 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा सेवा नियम, 2021 है।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. परिभाषा- इन नियमों में, जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) **"आयोग"** से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(ख) **"नियंत्रक प्राधिकरण"** से भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग अभिप्रेत है।

(ग) **"विभागीय प्रोन्नति समिति, विभागीय पुष्टि समिति और विभागीय छानबीन समिति"** से किसी श्रेणी में अधिकारियों की प्रोन्नति या पुष्टि और कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में अकृत्यिक चयन श्रेणी प्रदान करने पर विचार करने के लिए इन नियमों के तीसरी अनुसूची के अनुसार गठित समिति अभिप्रेत है।

(घ) **"ड्यूटीपद"** से पहली अनुसूची में उल्लिखित कोई भी अभिप्रेत है।

(ङ) **"सरकार"** से भारत सरकार अभिप्रेत है।

(च) **"श्रेणी"** से पहली अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट श्रेणी अभिप्रेत है।

(छ) **"पीईएसओ"** से पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन अभिप्रेत है।

(ज) किसी श्रेणी के संबंध में **"नियमित सेवा"** नियमों के अधीन चयन और नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में की गई सेवा की अवधि या अवधियां और ऐसी कोई भी अवधि या अवधियां जो

(i) इन नियमों के प्रारंभ के समय से पहले उस श्रेणी में रहने की दशा में ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिए गणना में लिया।

(ii) ऐसी अवधि जिसके दौरान अधिकारी उस श्रेणी में ड्यूटी पद धारण किया हुआ हो किन्तु छुट्टी पर हो या ऐसे पद धारण करने के लिए उपलब्ध न हो।

(झ) **"अनुसूची"** से इन नियमों से उपाबद्ध कोई अनुसूची अभिप्रेत है।

(ञ) "सेवा" से भारतीय पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा सेवा अभिप्रेत है।

(ट) "अनुसूचितजातियों", और "अनुसूचित जनजातियों" पद का वृद्धि अर्थ होगा जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और (25) में उनका है।

3. सेवा का गठन–

(1) नियम 5 में विनिर्दिष्ट सदस्यों से मिलकर बनने वाला, भारतीय पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा सेवा नाम से ज्ञान एक सेवा का गठन किया जाएगा।

(2) इस सेवा में शामिल सभी पदों को समूह 'क' पदों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

(3) इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व, संबंधित तत्थानी श्रेणी में उप नियम 3 (1)में दिए अनुसार, ज्येष्ठता, पुष्टि, प्रोन्नति, अकृत्यिक उन्नयन और पेंशन के प्रयोजन के लिए अधिकारियों द्वारा की गई नियमित सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी।

4. श्रेणी, प्राधिकृत संख्या और इसकी समीक्षा -

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने पर,सेवा के विभिन्न श्रेणियों में शामिल ड्यूटी पद, उनकी संख्या और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होगें जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) इन नियमों के प्रारंभ होने के बाद, विभिन्न श्रेणियों में ड्यूटी पदों की प्राधिकृत संख्या वह होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर शामिल की जाए।

(3) केन्द्रीय सरकार, आयोग के परामर्श से, सेवा में ऐसे पदों को शामिल कर सकती है जिन्हें इन नियमों के प्रथम अनुसूची में शामिल पदों की स्थिति, वेतन मैट्रिक्स में स्तर और ग्रेड के समतुल्य समझती है या उक्त अनुसूची में शामिल ड्यूटी पद को सेवा से हटा सकती है।

(4) केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर और आयोग के परामर्श से, किसी अधिकारी को, जैसा वह उचित समझे, अस्थायी हैसियत या मूल हैसियत में सेवा के समुचित श्रेणी में, उप-नियम (3) के अधीन सेवा में शामिल पद के ड्यूटी पद पर नियुक्त कर सकती है और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य आदेशों और निदेशों के अनुसार उस श्रेणी में उसकी ज्येष्ठता निर्धारित कर सकती है।

5. सेवा के सदस्य:

(1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे, अर्थात्: -

(क) नियम 6 के अधीन ड्यूटी पदों पर नियुक्त व्यक्ति; और

(ख) नियम 4 के उप-नियम (4) के अधीन ड्यूटी पदों पर नियुक्त व्यक्ति।

(2) उप नियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, सेवा के आरंभिक गठन की तारीख से पहली अनुसूची से विनिर्दिष्ट अनुसार लागू समुचित श्रेणी में सेवा का सदस्य समझा जाएगा।

(3) उप-नियम (1) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति की तारीख से पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार लागू श्रेणी में सेवा का सदस्य होगा।

6. सेवा का प्रारंभिक गठन: - पीईएसओ के ऐसे विद्यमान सभी अधिकारी जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2005, के अधीन नियुक्त विभिन्न श्रेणियों में समूह 'क' पद धारण किए हुए हैं, इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को ऐसे पदों पर नियमित आधार पर या इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को धारणाधिकारी पर हैं, यथास्थिति अधिष्ठायी या स्थानापन्न हैसियत में समुचित ड्यूटी पदों और सेवा की श्रेणियों में नियुक्त किए गए।

7. सेवा की भावी अनुरक्षण: - इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी में कोई भी रिक्ति निम्नलिखित तरीके से भरी जाएगी अर्थात्: -

(1) सेवा के विभिन्न ग्रेडों में नियुक्तियां, दूसरी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति के क्षेत्र, अगली निम्न श्रेणी में न्यूनतम अर्हक सेवा और प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए अन्य पात्रता शर्तों के अनुसार की जाएंगी।

(2) प्रोन्नति के लिए अधिकारियों का चयन तीसरी अनुसूची के अनुसार गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर किया जाएगा।

(3) सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अकृत्यिक) में अकृत्यिक चयन श्रेणी (एनएफएसजी), तीसरी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट विभागीय छानबीन समिति की सिफारिश पर प्रदान किया जाएगा।

(4) सेवा के कनिष्ठ समय वेतनमान (उप-नियंत्रक, विस्फोटक) पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हता, अनुभव और आयु-सीमा चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार होगी।

8. परिवीक्षाधीन-

(1) सीधी भर्ती द्वारा या कनिष्ठ समय वेतनमान में प्रोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्त प्रत्येक अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन पर होगा:

परन्तु नियंत्रक प्राधिकारी सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकते हैं:

परन्तु यह और कि परिवीक्षा की अवधि के विस्तार के लिए कोई भी विनिश्चय, सामान्यत: परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति के पश्चात आठ सप्ताह के भीतर लिया जाएगा और संबंधित अधिकारी को ऐसा करने के कारणों के आधार पर उक्त अवधि के भीतर लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

(2) परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी भी विस्तारित अवधि के पूरा होने पर, अधिकारी को, यदि स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता है, तो उसे नियमित रूप से नियुक्त पदपर बनाए रखा जाएगा और उपलब्ध मूल रिक्ति के प्रति नियत समय में इसकी पुष्टि की जाएगी।

(3) यदि यथास्थिति, परिवीक्षा की अवधि या उसके विस्तारित अवधि के दौरान, सरकार की यह राय है कि अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, तो सरकार यथास्थिति, उस अधिकारी को पद से मुक्त कर सकती है या उसे सेवा में उसकी नियुक्ति से पहले धारित पद पर प्रत्यावर्तित कर सकती है।

(4) परिवीक्षा की अवधि या उसके विस्तारित अवधि के दौरान, अधिकारी को ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्त करना और अनुदेशों का पालन करना और परीक्षा व जांच (हिंदी में परीक्षा सहित) उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा, जिन्हें सरकार द्वारा, परिवीक्षा संतोषजनक ढंग से पूरी करने की शर्त के रुप में, उचित समझा जाएगा।

(5) परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में, सेवा के सदस्य समय-समय पर इस संबंध में सरकार द्वारा जारी निदेशों द्वारा शासित होंगे।

9. ज्येष्ठता: - (1) नियम 6 के अधीन सेवा के प्रारंभिक गठन में पहली अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों में नियुक्त सेवा के सदस्यों की सापेक्ष ज्येष्ठता, इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से पूर्व यथानिर्धारित संबंधित श्रेणी में सापेक्ष ज्येष्ठता होगी;

परन्तु यदि सेवा के किसी भी सदस्य की ज्येष्ठता इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से पहले अवधारित नहीं की गई है, तो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी ज्येष्ठता के सामान्य निदेशों के अनुसार सरकार द्वारा इसे अवधारित किया जाएगा।

(2) प्रारंभिक गठन पर नियुक्त अधिकारी, बाद में नियुक्त किए गए अधिकारियों से ज्येष्ठ होंगे।

(3) सेवा के विभिन्न श्रेणियों में नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता और कनिष्ठ समय वेतनमान श्रेणी में सीधी भर्ती और कनिष्ठ समय वेतनमान में प्रोन्नत होने वाले अधिकारियों के बीच परस्पर-ज्येष्ठता इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को और उस तारीख से सरकार द्वारा समय-समय पर जारी ज्येष्ठता के सामान्य आदेशों या निदेशों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

10. सेवा में नियुक्ति - सेवा के विभिन्न श्रेणियों में सभी ड्यूटी पदों हेतु सेवा की सभी नियुक्तियां नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा की जाएंगी।

11. भारत के किसी भी भाग में सेवा के लिए दायित्व और सेवा की अन्य शर्तें-

(1) सेवा में नियुक्त अधिकारी भारत या बाहर कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(2) सेवा के सदस्यों की सेवा की शर्तें, जिनके लिए इन नियमों में कोई उपबंध नहीं है, उन मामलों के संबंध में वे वही होंगे, जो कि सामान्य रूप से केंद्रीय सिविल सेवा के अधिकारियों के लिए समय-समय पर लागू होते हैं।

12. निरर्हता: वह व्यक्ति,

(क). जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या;

(ख). जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

13. शिथिल करने की शक्ति - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

14. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपाबंध करना अपेक्षित है।

15. निर्वचन–इन नियमों केनिर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उठता है तो, यह इसका विनिश्चय सरकार द्वारा किया जाएगा।

पहली अनुसूची

[नियम 2(च), 2(छ); 4(1),4 (3); 7 और 9 (1) देखें]

भारतीय पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा (समूह 'क') सेवा के विभिन्न श्रेणियों में शामिल ड्यूटी पदों के नाम, क्रम और वेतनमान

क्र॰ सं॰	श्रेणी	श्रेणी में शामिल ड्यूटी पदों के नाम	ड्यूटी पदों की संख्या*	वेतन मैट्रिक्स (सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार)
1	2	3	4	5
1.	ज्येष्ठप्रशासनिक श्रेणी	मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक	1	स्तर -14 (रु. 1,44,200-2,18,200)
2.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अक्रत्यिक)	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक	38#	स्तर -13 (रु. 1,23,100-2,15,900)
3.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (कार्यात्मक)	उप मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक		स्तर -12 (रु. 78,800-2,09,200)
4.	ज्येष्ठसमय वेतनमान	विस्फोटक नियंत्रक	38	स्तर -11 (रु. 67,700-2,08,700)
5.	कनिष्ठ समय वेतनमान	उप-नियंत्रक, विस्फोटक	50	स्तर -10 (रु. 56,100-1,77,500)
6.	कनिष्ठ समय वेतनमान (आरक्षित)	उप-नियंत्रक, विस्फोटक	10	स्तर -10 (रु. 56,100-1,77,500)

* पदों की संख्या कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

किसी भी समय कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अकृत्यिक) तथा कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (कार्यात्मक) के कुल अधिकारियों की संख्या 38 से अधिक नहीं होगी। किसी भी समय कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अकृत्यिक) चयन श्रेणी अर्थातसंयुक्त मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक के पदों की संख्या ज्येष्ठ ड्यूटी पदों (यानि कि सेवा संवर्ग में ज्येष्ठ समय वेतनमान और उससे ऊपर के सभी ड्यूटी पद) के 15% से अधिक नहीं होगी।

दूसरी अनुसूची

(नियम 7 देखें)

भारतीय पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा सेवाओं (आईईपीईएसएस) में सम्मिलित विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों के ड्यूटी पदों पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए, भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति के क्षेत्र,आगामी निम्नतर श्रेणी में न्यूनतम अर्हक सेवा तथा अन्य अर्हता शर्तें

क्र॰ सं॰	ग्रेड वेतन मैट्रिक्स स्तर	भर्ती की पद्धति	चयन क्षेत्र और प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा
1	2	3	5
1.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-14 (रु. 1,44,200-2,18,200)	चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा	(क) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 (रु. 1,23,100-2,15,900) में संयुक्त मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक [कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अकृत्यिक)] के रूप में उस क्षेणी में तीन वर्ष कीनियमित सेवा। या (ख) कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में सेवा करने वाले ऐसे अधिकारी जो कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में (अकृत्यिक) सहित 8 वर्ष की नियमित सेवा करने वाले अधिकारी, यदि कोई हो,

			या (ग) समूह 'क' अधिकारी के तौर पर 17 वर्ष की सेवा जिसमे से कम से कम 4 वर्ष की कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी की हो जोकि कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के (अकृत्यिक) की नियमित सेवा के रूप में हो।
2.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अकृत्यिक) संयुक्त मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक वेतन मैट्रिक्स के स्तर– 13 (रु. 1,23,100-2,15,900)	उपयुक्तता होने पर ज्येष्ठता के आधार पर स्थानन	ऐसे अधिकारी जो उस वर्ष की 01 जनवरी को कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी की सेवा के 14 वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, इसकी गणना उस वर्ष से होगी जिस वर्ष में वे अधिकारी समूह 'क' के पद पर नियुक्त हुए हैं।
3.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (कार्यात्मक) उप मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 (रु. 78,800-2,09,200)	चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा	वे अधिकारी जिन्होंने ज्येष्ठकालमान की श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।
4.	ज्येष्ठ कालमान विस्फोटक नियंत्रक वेतन मैट्रिक्स के स्तर -11 (रु. 67,700-2,08,700)	चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा	वे अधिकारी जिन्होंने कनिष्ठ कालमान की श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की है।
5.	कनिष्ठ कालमान (उप-नियंत्रक, विस्फोटक) वेतन मैट्रिक्स के स्तर -10 (रु. 56,100-1,77,500)	(i) 95 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। (ii) पाँच प्रतिशत चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा	(i) आयोग द्वारा भर्ती के माध्यम से। (ii) प्रोन्नति:- ज्येष्ठ तकनीकी सहायक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -6 (रु. 35,400–1,12,400) में आठ वर्ष की नियमित सेवा और उसके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से केमिकल इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी में डिग्री या रसायन विज्ञान से मास्टर डिग्री होनी चाहिए।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली हो और उन्हें, कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अकृत्यिक) (संयुक्त मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक) पद के अतिरिक्त किसी अन्य पद पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो तो उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के प्रोन्नति के संबंध में थी विचार किया जायेगा परन्तु उनकी आवश्यक अर्हक/पात्रता सेवा इस प्रकार की आवश्यक अर्हक/पात्रता सेवा या दो वर्ष इन दोनों में जो भी कम हो उन्होने सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो और उन्होने अपने अगले पद पर प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि को अपने कनिष्ठों के साथ पूरा कर लिया हो।

टिप्पण 2 : जो इन नियमों की अधिसूचना जारी होने के दिन मौजूदा ज्येष्ठ तकनीकी सहायक पदग्राही हैं उनके लिए कनिष्ठ कालमान उप-नियंत्रक, विस्फोटक के पद पर प्रोन्नति के लिए उनके पास इस प्रकार की शैक्षणिक योग्यता होने की आवश्यकता नहीं होगी।

तीसरी अनुसूची

[नियम 2(घ) और 7 (ख) देखें]

भारतीय पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों के पुष्टि, प्रोन्नति, कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (गैर-कार्यात्मक) में रखने के लिए विभागीय प्रोन्नतिया जांच अथवा पुष्टि समिति की संरचना।

क्र॰ सं॰	**ड्यूटी पद का नाम**	**प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति / कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (एनएफ़एसजी) में रखने के लिए विभागीय जांच समिति**	**समूह 'क' की पुष्टि पर विचार करने के लिए विभागीय पुष्टि समिति**
1	2	3	5
1.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक) वेतन मैट्रिक्स के स्तर -14 (रु. 1,44,200-2,18,200)	1. अध्यक्ष/सदस्य लोक सेवा आयोग संघ – अध्यक्ष 2. सचिव –उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग – सदस्य 3. अवर सचिव और वित्तीय सलाहकार/अवर सचिव उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग- सदस्य	लागू नहीं है

2.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (गैर-कार्यात्मक) संयुक्त मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 13 (रु. 1,23,100-2,15,900)	1. सचिव –उद्योग संवर्धनऔर आंतरिक व्यापार विभाग – अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव- उद्योग संवर्धनऔर आंतरिक व्यापार विभाग- सदस्य 3. मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक,पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन – सदस्य	लागू नहीं है
3.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (कार्यात्मक) उप मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 (रु. 78,800-2,09,200)	1. अध्यक्ष/सदस्य लोक सेवा आयोग संघ – अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव- उद्योग संवर्धनऔर आंतरिक व्यापार विभाग- सदस्य 3. मुख्य नियंत्रक, विस्फोटकपेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन – सदस्य	लागू नहीं है
4.	ज्येष्ठ कालमान विस्फोटक नियंत्रक वेतन मैट्रिक्स के स्तर -11 (रु. 67,700-2,08,700)	1. संयुक्त सचिव- उद्योग संवर्धनऔर आंतरिक व्यापार विभाग- अध्यक्ष 2. निदेशक (प्रशासन)/उप सचिव (प्रशासन),उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग- सदस्य 3. मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन – सदस्य	लागू नहीं है
5.	कनिष्ठ कालमान उप-नियंत्रक, विस्फोटक वेतन मैट्रिक्स के स्तर -10 (रु. 56,100-1,77,500)	1. अध्यक्ष/सदस्य लोक सेवा आयोग संघ – अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव- उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग- सदस्य 3. मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन – सदस्य	1. मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन – अध्यक्ष 2. निदेशक/उप सचिव, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग- सदस्य

चौथी अनुसूची

(नियम 7 (ग) देखें)

भारतीय पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा सेवाओं में कनिष्ठ कालमानके सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएँ तथा आयु सीमा।

क्र॰ सं॰	ड्यूटी पद का नाम	सीधी भर्ती के लिए समय सीमा	सीधी भर्ती के लिए न्यूननतम शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ
1	2	3	5
1.	कनिष्ठ कालमान (विस्फोटकों का उप नियंत्रक) वेतन मैट्रिक्स के स्तर -10 (रु. 56100-177500)	35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (सरकारी सेवकों के लिए सरकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार पाँच वर्ष तक की छूट) **टिप्पण:** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्धारण तारीख आयोग द्वारा आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि होगी।	**आवश्यक योग्यता:** (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से केमिकल इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में डिग्री या रसायन विज्ञान से मास्टर डिग्री। (ii) केमिकल के कार्य या विस्फोटकों के विनिर्माण या हैंडिलिंग और/या संपीडित गैस और/या पेट्रोलियम के शोधन में तीन वर्ष का अनुभव। **वांछनीय अर्हता:** रसायन विज्ञान की किसी भी शाखा में डॉक्टरेट या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से केमिकल इंजीनियरिंग/टेक्नोलोजी में मास्टर डिग्री।

			टिप्पणी 1:अर्हताएं अन्यथा सुनिर्मित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं आयोग के विवकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पणी 2:**अनुभव संबंधी अर्हताएं आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

[फा. सं. 1(32)/2018-विस्फोटक]

सुमिता डावरा, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2021

G.S.R. 154(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution andin supersession of the Ministry of Commerce and Industry, Petroleum and Explosives Safety Service Organization, Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2005, except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the President hereby makes the following rules, namely:-

1. Short Title and Commencement.(1) These rules may be called the Indian Petroleum and Explosives Safety Service Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.– In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "**Commission**" means the Union Public Service Commission;

(b) "**Controlling Authority**" means the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, Department for Promotion of Industry and Internal Trade.

(c) **"Departmental Promotion Committee, Departmental Confirmation Committee and Departmental Screening Committee**" mean committee to consider promotion or confirmation of officers in any grade and grant of Non-Functional Selection Grade in the Junior Administrative Grade, constituted in accordance with Third Schedule to these rules.

(d) "Duty post" means any postincluded mentioned in First Schedule;

(e) "**Government**" means the Government of India;

(f)"**Grade**" means a Grade specified in column 2 of the First Schedule;

(g) "**PESO**" means Petroleum and Explosives Safety Organisation;

(h) **"Regular service"**in relation to any Grade means the period or periods of service in that Grade rendered after selection and appointment thereto under the rules and includes any period or periods.

(i) taken into account for the purpose of seniority in the case of thosealready in the grade at the time of commencement of these rules; and

(ii) during which the officer would have held a duty post in that Grade but for being on leave or otherwise not available to hold such post;

(i) **"Schedule"** means a Schedule appended to these rules;

(j) **"Service"** means the Indian Petroleum and Explosives Safety Service.

(k) the expressions "Scheduled Castes" and"Scheduled Tribes" and shall have the meanings assigned to them clause (24) and (25) of article 366 of the Constitution of India.

3. Constitution of the Service. –

(1) There shall be constituted a Service to be known as the Indian Petroleum and Explosives Safety Service consisting of members specified in rule 5.

(2) All the posts included in the Service shall be classified as Group 'A' posts.

(3) The regular continuous service by the officers, as referred to in sub-rule 3(1) in the respective corresponding Grades, rendered prior to commencement of these rules shall be counted as qualifying service for the purpose of seniority, confirmation, promotion, non-functional up-gradation and pension.

4. Grades, authorized strength and its review.–

(1) The duty posts included in the various Grades of the Service, their number and the Level in the Pay Matrix on the commencement of these rules, shall be as specified in the First Schedule;

(2) After the commencement of these rules, the authorised strength of the duty posts in various grades shall be such as may, from time to time, be determined by the Central Government;

(3) Central Government may, in consultation with the Commission, include in the Service such posts as can be deemed equivalent in status, Level in the Pay Matrix and grade to the posts included in First Schedule to these rules or exclude from the service a duty post included in the said Schedule;

(4) The Central Government may, from time to time and in consultation with the Commission, appoint an officer to a duty post whose post is included in the Service under sub-rule (3), to the appropriate Grade of the Service in a temporary capacity or in a substantive capacity as it thinks fit and fix his seniority in that Grade in accordance with the general orders and instructions issued by the Government from time to time.

5. Members of the Service:

(1) The following persons shall be the members of the Service, namely:-

(a) persons appointed to duty posts under rule 6; and

(b) persons appointed to duty posts under sub-rule (4) of rule 4 and rule

(2) A person appointed under clause (a) of sub-rule (1) shall be deemed to be the member of the Service in the appropriate Grade, applicable to him as specified in the First Schedule, from the date of initial constitution of the Service.

(3) A person appointed under clause(b) of sub-rule (1) shall be a member of the Service in the corresponding Grade applicable to him as specified in the First Schedule from the date of such appointment.

6. Initial constitution of the Service.- All the existing officers of PESO holding Group 'A' posts in various Grades, appointed under the Ministry of Commerce and Industry, Petroleum and Explosives Safety Organisation, Group 'A' posts Recruitment Rules, 2005, on regular basis or holding lien on such posts on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been appointed to the appropriate duty posts and the grades of the Service in a substantive or officiating capacity, as the case may be.

7. Future maintenance of the Service: - Any vacancy in any of the Grades referred to in the First Schedule after the commencement of these rules shall be filled in following manner, namely:-

(1) Appointments to various Grades of the Service shall be made in accordance with the method of recruitment, the field of promotion, the minimum qualifying service in the next lower Grade and other eligibility conditions for appointment by promotion, as specified in the Second Schedule.

(2) The selection of officers for promotion shall be made on the recommendation of the Departmental Promotion Committee constituted in accordance with the Third Schedule.

(3) Grant of Non-Functional Selection Grade (NFSG) in the Junior Administrative Grade (Non-Functional) of the Service shall be made on the recommendation of the Departmental Screening committee as specified in the Third Schedule.

(4) The educational and other qualifications, experience and age-limits for appointment by direct recruitment to Junior Time Scale (Deputy Controller of Explosives) of the Service shall be as specified in the Fourth Schedule.

8. Probation.-

(1) Every officer appointed to the Service either by direct recruitment or by promotion in Junior Time Scale shall be on probation for a period of two years:

Provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time in this regard:

Provided further that any decision for extension of period of probation shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the period of probation and communicated in writing based on reasons to the concerned officer for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, the officer shall, if considered fit for permanent appointment, be retained in his appointment on regular basis and be confirmed in due course against the available substantive vacancy.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, the Government may discharge or revert the officer to the post held by him prior to his appointment in the Service, as the case may be.

(4) During the period of probation or any extension thereof, the officer may be required to undergo such courses of training and instructions and to pass examination and tests (including examination in Hindi) as Government may deem fit, as a condition to satisfactory completion of Probation.

(5) As regards other matters relating to probation, the members of the Service shall be governed by the instructions issued by the Government in this regard from time to time.

9. Seniority:–(1)The relative seniority of members of the Service appointed to the various Grades mentioned in the First Schedule, at the initial constitution of the Service under Rule 6, shall be the relative seniority in their respective grades as determined before the date of commencement of these rules;

Provided that if the seniority of any member of the Service has not been determined before the date of commencement of these rules, the same shall be determined by the Government in accordance with the general instructions on seniority issued by the Government from time to time.

(2) Officers appointed at the initial constitution shall be senior to those appointed subsequently.

(3) The seniority of persons appointed to various grades of the Service and inter-se seniority between the direct recruits in the grade of Junior Time Scale and the officers promoted to Junior Time Scale on and from the date of commencement of these rules shall be determined in accordance with the general orders or instructions on seniority issued by the Government from time to time.

10. Appointment to Service. –All appointments to the Service shall be made by the Controlling Authority for all the duty posts in various Grades of the Service.

11. Liability for service in any part of India and other conditions of service.–

(1) The officers appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in India or outside.

(2) The conditions of service of the members of the Service, in respect of matters for which no provision is made in these rules, shall be the same as are applicable, from time to time, to officers of Central Civil Service in general.

12. Disqualification: –No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,shall be eligible for appointment to the Service:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

13. Power to relax. –Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, relax any of the provisions to these rules with respect to any class or category of persons.

14. Saving.–Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

15.Interpretation –If any question relating to interpretation of these rules arises, it shall be decided by the Government.

FIRST SCHEDULE

[See Rules 2(f), 2(h); 4 (1), 4(3); 7 and 9 (1)]

Name, Number and scale of pay of duty posts included in the various grades of the Indian Petroleum and Explosives Safety (Group 'A') Service

Sl. No.	Grade	Name of the duty Posts included in the Grade	Number of duty Posts*	Pay Matrix (As per 7th Central Pay Commission)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Senior Administrative Grade	Chief Controller of Explosives	1	Level-14 (Rs.1,44,200-2,18,200)
2.	Junior Administrative Grade (Non-Functional)	Joint Chief Controller of Explosives	**38#**	Level-13 (Rs.1,23,100-2,15,900)
3.	Junior Administrative Grade (Functional)	Deputy Chief Controller of Explosives		Level-12 (Rs.78,800-2,09,200)
4.	Senior Time Scale	Controller of Explosives	38	Level-11 (Rs.67,700-2,08,700)
5.	Junior Time Scale	Deputy Controller of Explosives	50	Level-10 (Rs. 56100-1,77,500)
6.	Junior Time Scale (Reserves)	Deputy Controller of Explosives	10	Level-10 (Rs. 56100-1,77,500)

*number of posts are subject to variation dependent on workload.

At any point of time, the combined strength of officers in Junior Administrative Grade (Functional) and Junior Administrative Grade (Non Functional) shall not be more than 38. At any point of time, the number of posts in Non-Functional Selection Grade i.e. Joint Chief Controller of Explosives shall not exceed 15% of the Senior duty posts (that is all duty posts at the level of Senior Time Scale and above in the cadre).

SECOND SCHEDULE

[See Rule 7]

Method of recruitment, field of promotion, minimum qualifying service in the next lower grade and other eligibility conditions for appointment of officers by promotion to duty posts included in the various grades of the Indian Petroleum and Explosives Safety Service (IPESS).

Sl. No.	Grade Pay Matrix level	Method of Recruitment	Field of Selection and minimum qualifying service for promotion
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Senior Administrative Grade (Chief Controller of Explosives) Pay Matrix Level-14 (Rs.1,44,200-2,18,200)	By promotion on the basis of selection.	(a) Joint Chief Controller of Explosives [Junior Administrative Grade (Non-Functional)] in Level-13 (Rs.1,23,100-2,15,900) in the Pay Matrix with three years regular service in the grade. Or (b) Officers of the Service in the Junior Administrative Grade with eight years' regular Service in the Grade including service, if any, rendered in the Non Functional Selection Grade of the Junior Administrative Grade; Or

			(c) Officers of the Service with seventeen years' regular service in Group 'A' posts in the service out of which at least four years regular service should be in the Junior Administrative Grade including service, if any, rendered in the Non-Functional Selection Grade of the Junior Administrative Grade.
2.	Junior Administrative Grade (Non-Functional) (Joint Chief Controller of Explosives) Pay Matrix Level-13 (Rs.1,23,100-2,15,900)	Placement on the basis of seniority subject to suitability.	Officers of the Service in the Junior Administrative Grade who have entered the 14th year of service as on the 1st January of the year calculated from the year of selection on the basis of which the Officer was appointed or recruited to Group 'A' post.
3.	Junior Administrative Grade (Functional) (Deputy Chief Controller of Explosives) Pay Matrix Level-12 (Rs. 78800-2,09,200)	By promotion on the basis of selection.	Officers of the Service in the Senior Time Scale with five years regular service in the grade.
4.	Senior Time Scale (Controller of Explosives) Pay Matrix Level-11 (Rs. 67700-208700)	By promotion on the basis of selection.	Officers of the Service in the Junior Time Scale with four years regular service in the grade.
5.	Junior Time Scale(Deputy Controller of Explosives) Pay Matrix Level-10 (Rs. 56100-177500)	(i) Ninety Five per cent by direct recruitment (ii) Five per cent by promotion on the basis of selection.	(i) Through Recruitment conducted by the Commission. (ii) Promotion:- Senior Technical Assistant in the Level–6 (Rs. 35400-112400) in the Pay Matrix with eight years regular service in the grade andpossessing Degree in Chemical Engineering/ Technology or Master's Degree in Chemistry from a recognised University or Institute.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion for all posts except Junior Administrative Grade (Non-Functional) (Joint Chief Controller of Explosives) their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.

Note 2: For existing incumbents in the grade of Senior Technical Assistant on the date of notification of these rules, there shall not be any requirement to possess the educational qualification for promotion to the Junior Time Scale grade (Deputy Controller of Explosives).

THIRD SCHEDULE

[See rule 2(d) and 7 (b)]

Composition of Departmental Promotion or Screening or Confirmation Committee for considering cases of promotion, placement in Non-Functional Selection Grade of the Junior Administrative Grade and confirmation to various grades of the Indian Petroleum and Explosives Safety Service

Sl. No.	Name of Duty Post	Departmental Promotion Committee for considering promotion/Departmental Screening Committee for placement in Junior Administrative Grade (NFSG)	Group 'A' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation.
1.	Senior Administrative Grade (Chief Controller of Explosives) Level-14 in the Pay Matrix (Rs.1,44,200-2,18,200).	1. Chairman/Member Union Public Service Commission–Chairman 2. Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade – *Member* Additional Secretary and Financial Adviser/Additional Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade-Member.	Not applicable.
2.	Junior Administrative Grade (Non-Functional) (Joint Chief Controller of Explosives) Level-13 in the Pay Matrix (Rs.1,23,100-2,15,900).	1. Secretary, DPIIT– Chairman. 2. Jt. Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade–Member 3. Chief Controller of Explosives, Petroleum and Explosives Safety Organization–Member	Not applicable.
3.	Junior Administrative Grade (Functional) (Deputy Chief Controller of Explosives) Level-12 in the Pay Matrix (Rs. 78800-209200).	1. Chairman/Member, Union Public Service Commission – Chairman; 2. Jt. Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade– Member 3. Chief Controller of Explosives, Petroleum & Explosives Safety Organization – Member.	Not applicable.
4.	Senior Time Scale (Controller of Explosives) Level-11 in the Pay Matrix (Rs. 67700-208700).	1. Jt. Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade – Chairman; 2. Director (Administration)/ Deputy Secretary (Administration), Department for Promotion of Industry and Internal Trade – Member. 3. Chief Controller of Explosives/ Jt. Chief Controller of Explosives – Petroleum & Explosives Safety Organisation – Member.	Not applicable.
5.	Junior Time Scale (Deputy Controller of Explosives) Pay Matrix Level-10 (Rs. 56100-177500).	1. Chairman / Member Union Public Service Commission– Chairman 2. Jt. Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade Member 3. Chief Controller of Explosives/ Jt. Chief Controller of Explosives – Member	1. Chief Controller of Explosives, / Joint Chief Controller of Explosives – Chairman; 2. Director/Dy. Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade– Member;

FOURTH SCHEDULE

[See rule 7 (c)]

Minimum educational and other qualification and age limit for direct recruitment in the Junior Time Scale of the Indian Petroleum and Explosives Safety Service.

Sl. No.	Name of Duty Post	Age limit for direct recruitment	Minimum educational and other qualification for direct recruitment
1.	Junior Time Scale (Deputy Controller of Explosives) Pay Matrix Level-10 (Rs. 56100-177500).	Not *exceeding 35 years*. (Relaxable for Government Servants up to 5 years in accordance with instructions or orders issued by Government from time to time) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications by the Commission.	**Essential Qualification:** (i) Degree in Chemical Engineering/Technology or Master's Degree in Chemistry from a recognised University or Institute. (ii) Three years' experience in Chemical works or in manufacture and handling of explosives and/or in compressed gases and/or refining of Petroleum. **Desirable Qualification:** Doctorate Degree in any branch of Chemistry or Master's degree in Chemical Engineering/ Technology from a recognised University/ Institute. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of Candidates otherwise well qualified. **Note 2**: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Commission, for the reasons to be recorded in writing, in the case of Candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribes if, at any stage of Selection the Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

[F. No. 1(32)/2018-Explosive]

SUMITA DAWRA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.03.05 23:14:12 +05'30'